न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 39/2020
3. उनवान : सरकार जरिये रामभजन मीणा प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

1. मैसर्स कल्याण सहाय मीणा पुत्र श्री रामचन्द्र मीणा प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बोरोदा तहसील दौसा।
2. श्री पवन कुमार मीणा पुत्र श्री कल्याण सहाय मीणा निवासी ग्राम बारोदा तहसील दौसा। पिकअप ड्राइवर पिकअप संख्या RJ29–GA–1831

4. निर्णय दिनांक : 01-07-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री कैलाश दत्त शर्मा अप्रार्थी 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक उपखण्ड जमवारामगढ श्री रामभजन मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, बयान, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि मुखबिर द्वारा गेंहूं की कालाबाजारी की सूचना पर पुलिस थाना आंधी द्वारा नाकाबंदी करवाकर पिकअप नं. RJ29-GA-1831 को पकड़ लिया गया। तत्पश्चात पुलिस द्वारा कार्यवाही की सूचना पर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय का जांच दल दिनांक 06.07.2015 को पुलिस थाना आंधी पर पंहुचा। पुलिस थाना आंधी के प्रभारी ने लिखित में तहरीर देकर जानकारी दी कि ग्राम पंचायत बोरोदा तहसील दौसा का राशन डीलर श्री कल्याण सहाय मीणा राशन की 30 बोरी गेहूं एक पिकअप नं. RJ29-GA-1831 में भरवाकर कालाबाजारी के लिए जयपुर की ओर भिजवा रहा है इस सूचना पर फुटालोव मोड पर नाकाबंदी कर डांगरवाहा की तरफ से आती हुई पिकअप का रुकवाकर चैक किया जिसमें गेंहूं की बोरियां भरी हुई थी। पिकअप चालाक श्री पवन कुमार मीणा से उक्त गेंहूं के बारे में पुछताछ की गई जिसमें उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया ना ही अप्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त गेंहूं के संबंध में दिये। इस कारण पिकअप को मय चालक के थाने पर लाया गया है। मौके पर प्रार्थी द्वारा पिकअप में भरे हुए गेंहूं की जांच की गई जिसमें जूट के बारदाना वाली 31 बोरियों में 31 क्विंटल गेंहूं पाया गया। इस प्रकार श्री कल्याण सहाय मीणा द्वारा अपने पुत्र श्री पवन कुमार के साथ मिलकर राशन के गेंहूं को अवैध रुप से कालाबाजारी करने हेतु परिवहन करने के कारण मौके पर 31 क्विंटल गेंहूं व पिकअप संख्या RJ29-GA-1831 को जब्त कर पुलिस थाना आंधी को साक्ष्य व सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 14.09.2015 को अधिवक्ता श्री कैलाश दत्त शर्मा ने वकालतनामा पेश किया और अप्रार्थीगण की ओर से जमानतनामें/सुपुर्दगीनामें पर पिकअप को रिलीज किये जाने का निवेदन किया है, जिस पर सुपुर्दगीनामा व रुपये 3,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर माननीय न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पिकअप संख्या RJ29-GA-1831 के रिलीज आर्डर पारित किये गये। तत्पश्चात श्री रामजीलाल शर्मा दत्तक पुत्र श्री कन्हैयालाल, निवासी ग्राम बोरोदा, जिला दौसा के पक्षकार बनाये जाने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिए जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया और दिनांक 03.02.2016 को अधिवक्ता श्री कैलाश दत्त शर्मा ने श्री रामजीलाल की ओर से वकालतनामा पेश किया। दिनांक 03.02.2016 को श्री रामजीलाल द्वारा जरिये अधिकवक्ता लिखित अभ्यावेदन पेश कर स्वयं को उक्त गेंहूं का उत्पादक व स्वामी बताकर अभिगृहीत गेंहूं वापस दिलवाने का निवेदन किया। दिनांक 03.02.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा जरिये अभिभाषक प्रत्युत्तर नोटिस एवं लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 01.07.2016 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 06.07.2015 को पुलिस थाना आंधी में पुलिस द्वारा जब्त पिकअप पर जांच कार्यवाही कर कुल 31 क्विंटल गेंहूं व पिकअप संख्या RJ29-GA-1831 जब्त किया। अप्रार्थी संख्या 2 का मौका बयान में गेंहूं के अप्रार्थी संख्या 1 की राशन की दुकान से भरकर विक्रय के लिये जाना एवं जवाब प्रार्थना पत्र में गेंहूं श्री रामजीलाल के यहां से भरकर ले जाने का कथन विरोधाभासी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि जिला अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 17.07.2015 को जांच में उक्त गेंहू को अप्रार्थी की उचित दुकान का नहीं होना बताया है जबकि अप्रार्थी ने इस जांच से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी उचित मूल्य की दुकान का क्रय–विक्रय रजिस्टर व स्टॉक रजिस्टर भी बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि जब्त गेंहू उचित मूल्य दुकान का नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से गेंहू को उचित मूल्य की दुकान से लाया जाकर उसकी कालाबाजारी करने हेतु काम में लिया जाना पुष्ट होता है। ऐसी स्थिति में हमें जब्त 31 क्विंटल गेंहूं व उसके अवैध परिवहन में काम आने वाली पिकअप

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

संख्या RJ29-GA-1831 को अवैध मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 31 क्विंटल गेंहूं व पिकअप संख्या RJ29-GA-1831 शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर